न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

वाद–पत्र संख्या :–27/2015 दायर दिनांक: 15.04.2015

GCMS NO:- 2015/00170

पीठासीन अधिकारी :–श्योराम (आर.ए.एस.)

राजस्थान सरकार जर्ये भूमिधारी तहसीलदार नैनवां

– वादी

बनाम

1. श्री बशीर मोहम्मद से0नि0 आईएलआर निवासी देई
2. श्री प्रभूलाल वर्मा पटवारी निवासी हाल भजनेरी तह0 नैनवां
3. श्री संजय कुमार आ0 कमल कुमार मारवाडा निवासी नैनवां
4. श्री अमित कुमार पि0 महावीर प्रसाद निवासी छोटी पडाप तह0 नैनवां
5. श्रीमति कृष्णा जैन पत्नी प्रकाश जैन जाति महाजन निवासी नैनवां।

––प्रतिवादीगण

वाद पत्रः– अंतर्गत धारा 60 एल आर एक्ट एवं 131,136 एल.आर एक्ट 1956

उपस्थितिः–

वादी की ओर से पैरोकार सरकार तहसीलदार नैनवां।

प्रतिवादी के अभिभाषक श्री देवेन्द्र कुमार जैन।

निर्णय दिनांक 14.09.2021

संक्षेप में वाद का कथन इस प्रकार है कि ग्राम छोटी पडाप में भूमि खसरा संख्या 268 रकबा 3–14 बीघा भूमि स्थित है। यह कि उक्त भूमि दिनांक 27.4.75 को आंवटी रोडू आ0 कल्याण गूजर निवासी छोटी पडाप को आवंटित हुई थी। इस भूमि के वर्तमान खातेदार अप्रार्थी संख्या 3 लगायत 5 है। यह कि आवंटित भूमि खसरा सं0 268/2 रकबा 3–14 बीघा की तरमीम दिनांक 19.7.2003 को आईएलआर एवं पटवारी द्वारा की गई है। यह कि उक्त तरमीम आवंटन आदेशों के विपरीत सड़क के किनारे की गई है। उक्त तरमीम आंवटन आदेशों में अंकित कब्जा रिपोर्ट के विपरीत की गई है। यह कि उक्त तरमीम आवंटन आदेश के विपरीत सड़क के समीप होने के कारण निरस्तनीय है। यह तरमीम कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन नियम 1970 के नियम 4(v) च के विरूद्ध है अतः कृपया ग्राम छोटी पडाप की भूमि खसरा सं. 268 रकबा 3–14 बीघा में की गई तरमीम निरस्त करने के आदेश फरमावे। वादी ने अपने वाद के समर्थन में जमाबन्दीयां, नकल नक्शा ट्रेस, गिरदावरी की नकल एवं नामान्तकरण पंजिका की फोटोप्रति आदि पेश किये।

वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को सुनवाई हेतु तलब किया गया। आदेशिका दिनांक 27.09.2017 में इस वाद पत्र को प्रार्थना पत्र के रूप में सुने जाने के आदेश दिये गए। अप्रार्थी संख्या 2 ने अपने जवाब में निवेदन किया कि नियमानुसार तरमीम कानूनगो द्वारा की जाती है। पटवारी तरमीम के लिए किसी प्रकार से उत्तरदायी नहीं है।

अप्रार्थी संख्या 3 एवं 5 ने अपने जवाब दावा में निवेदन किया कि तरमीम आवंटन आदेशों के मुताबिक जारी कब्जा रिपोर्ट के अनुरूप ही की गई है। भूमि आवंटन नियम 1970 के मुताबिक आवंटित कर उसकी नियमानुसार तरमीम सडक से निर्धारित दूरी पर की गई है। अपने जवाब के समर्थन में प्रतिवादी ने बयान पेश किये। वकील प्रतिवादी ने ... निवेदन किया कि उक्त दावा पेश करते समय वादी द्वारा विभिन्न सीपीसी नियमों की पालना नहीं ... है। आदेश 04 नियम 1 के अनुसार वादी को अपना वाद पत्र नियमानुसार दो प्रतियों में ... आदेश 07 नियम 11 ई के अनुसार

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.01.13 15:22:51 IST
Reason: SelfAttested

Reader/Decesion/2021

उपखण्ड अधिकारी
नैनवाँ (बून्दी)

Scanned with CamScanner

...दी द्वारा वाद दो प्रतियों में पेश नही किया जाता है तो वाद खारिज किया जायेगा। आदेश 6 नियम 15 ...पीसी के प्रावधानों के अनुसार वादी ने वाद का सत्यापन नही किया है, जिससे भी वाद खारिज होने योग्य है। वादी ने अपने वाद के समर्थन में कोई साक्ष्य पेश नही किये है, जिससे वादी का वाद सिद्ध नही होने के कारण खारिज होने योग्य है।

आदेश

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद विधिसम्मत नही होने से खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 14.09.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवाँ

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

उपखण्ड अधिकारी नैनवाँ (बून्दी)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.01.13 15:22:51 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner